(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2166–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ, प्रकरण क्र. 17/अ–13/2015–16

शिव पुत्र श्री दलाजी
निवासी ग्राम जंगीबड़ तहसील पचौर
जिला राजगढ़

.....आवेदक

विरूद्ध

1–रामलाल पुत्र श्री पूनाजी
2–कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामलाल
3–समंदर सिंह पुत्र श्री रामलाल
निवासीगण ग्राम जंगीबड़ तहसील पचौर
जिला राजगढ़

.....अनावेदकगण

.....

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–11–2015 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12–01–2016 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है तथा साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–6–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गेया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है जिसके विरूद्ध अपील प्रतिबंधित होने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अंतरिम आदेश के विरूद्ध एकमात्र उपचार संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12–1–16 को मात्र 20 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का अभी गुणदोष पर निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और सामान्यतः समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण निरस्त करना उचित कार्यवाही नहीं है । उनके द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 19–11–2015 को आगामी पेशी दिनांक 11–12–2015 नियत की गई थी और तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–11–2015 को ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया है और अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि अनावेदकगण की ओर से उक्त आदेश को किसी के द्वारा नोट नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर